बालिका शिक्षा फाउण्डेशन राजस्थान, जयपुर

डॉ. एस. राधाकृष्णन् शिक्षा संकुल परिसर, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर (राज.) 302015

क्रमांकः–प.24/बा.शि.फा./आपकीबेटी/2018–19/ **दिनांक : यथाहस्ताक्षर**

समस्त जिला शिक्षा अधिकारी
(मुख्यालय) प्रारम्भिक/माध्यमिक

विषयः–वर्ष 2024–25 में राजकीय विद्यालयों में अध्ययनरत बालिकाओं के लिए संचालित ''आपकी बेटी योजना'' के ऑनलाईन प्रस्ताव के कम में।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि वर्ष 2024–25 में फाउण्डेशन द्वारा संचालित आपकी बेटी योजना में राजकीय विद्यालयों में अध्ययनरत पात्र बालिकाओं के ऑनलाईन प्रस्ताव शाला दर्पण पोर्टल (BENEFICIARY SCHEME PORTAL) पर निम्न तिथिनुसार भरवाये जाने हैः–

राजकीय विद्यालयों द्वारा योजना की पात्र बालिकओं की सूचना School LOGIN से LOCK करने की अन्तिम तिथि	**31 अक्टूबर 2024**
संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) प्रारम्भिक/माध्यमिक द्वारा DEO OFFICE LOGIN से प्रमाणीकरण/सत्यापन करना (अन्तिम तिथि तक प्रमाणीकरण/सत्यापन न किये जाने पर डाटा स्वतः सत्यापित हो जायेगा)	**15 नवम्बर 2024**

उपरोक्तानुसार निर्धारित समयावधि अनुसार योजना की पात्र बालिकाओं के ऑनलाईन प्रस्ताव की प्रकिया पूर्ण करवाये जाने हेतु आपके परिक्षेत्राधिन समस्त राजकीय विद्यालय के संस्था प्रधानों को निर्देश प्रदान करावे, जिससे समय पर बालिकाओं को आर्थिक सहायता राशि से लाभान्वित करवाया जा सके।

सलग्न : उपरोक्तानुसर प्रकिया एवं दिशा–निर्देश

(तेजपाल मूण्ड)
सचिव
बालिका शिक्षा फाउण्डेशन
जयपुर

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. निजी सचिव, शासन सचिव महोदय, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, राजस्थान सरकार,
2. निजी सचिव, निदेशक माध्यमिक एवं प्रारम्भिक शिक्षा विभाग, बीकानेर
3. निदेशक महोदय, बालिका शिक्षा फाउण्डेशन, जयपुर
4. वरिष्ठ तकनीकी निदेशक महोदय, एन. आई. सी. शिक्षा संकुल परिसर, जयपुर
5. निदेशक महोदय, संस्कृत शिक्षा विभाग, जयपुर
6. उपायुक्त महोदय (शाला दर्पण प्रकोष्ठ), राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्, जयपुर
7. रक्षित पत्रावली।

Signature valid

Digitally signed by Tejpal Moond
Designation : Secretary
Date: 2024.10.04 12:14:47 IST
Reason: Approved

वर्ष 2024–25 में राजकीय विद्यालयों में अध्ययनरत बालिकाओं हेतु बालिका शिक्षा फाउण्डेशन द्वारा संचालित आपकी बेटी योजना के ऑनलाईन आवेदन भरवाये जाने के संबंध में प्रकिया एवं दिशा–निर्देशः–

आपकी बेटी योजनाः–

योजनान्तर्गत ''गरीबी रेखा से नीचे (BPL) जीवनयापन करने वाले परिवारों की ऐसी बालिकाएँ जिनके माता–पिता दोनों अथवा एक का निधन हो गया हो'' ऐसी राजकीय विद्यालयों में अध्ययनरत कक्षा 1 से 8 तक की ॅ बालिकाओं को 2100 रु. एवं कक्षा 9 से 12 में अध्ययनरत् को 2500/– रु. प्रतिवर्ष आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।

(1) शाला दर्पण पोर्टल विद्यालय LOGIN से ''विद्यार्थी'' टैब में ''विद्यार्थी विवरण प्रविष्टि प्रपत्र–9'' में प्रदर्शित समस्त सूचनाऐं भरी जानी है।

(2) शाला दर्पण पोर्टल विद्यालय LOGIN से ''विद्यार्थी'' टैब में ''लाभकारी योजनओं के लिए अनिवार्य छात्र सूचना'' में प्रदर्शित कक्षावार बालिकाओं की ''BPL'' एवं ''ORPHAN/SINGAL PARENT'' श्रेणी का चयन करते हुए सबमिट किया जाना है।

(3) ''BENEFICIARY SCHEME PORTAL'' पर विद्यालय LOGIN में SCHEME का चयन करने पर प्रदर्शित बालिकाओं की संख्या को APPROVE AND LOCK किया जाना है।

(4) SCHOOL LOGIN से LOCKED सूचनाऐ DEO OFFICE LOGIN (**प्रारम्भिक/माध्यमिक**) के ''BENEFICIARY SCHEME PORTAL'' पर प्रदर्शित होने पर OTP के माध्यम से FINAL SUBMIT किया जाना है।

उपरोक्त प्रकिया से पूर्व उक्त योजना की पात्र बालिकाओं का शाला दर्पण पोर्टल पर जन–आधार नं. प्रमाणीकरण अनिवार्य है क्योंकि पुरस्कार राशि का अन्तरण जन–आधार से (परिवार की मुखिया या बालिका) जुडे बैक खातें में DBT माध्यम से किया जायेगा।

Signature valid
Digitally signed by Tejpal Moond
Designation : Secretary
Date: 2024.10.04 12:14:47 IST
Reason: Approved